

उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग
संख्या-09/2018/1001/62-1-2018-03जीडब्लू/2013
लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (अभियन्ता और वैज्ञानिक) सेवा नियमावली, 1999 (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 के सुसंगत प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से कराये गये चयन में प्राप्त चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर श्री लक्ष्मी चन्द्र हाइड्रोलॉजिस्ट (जियोलाजी) भूगर्भ जल विभाग खण्ड-देवीपाटन (गोण्डा) को सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट के पद पर वेतनमान ₹0 67700-208700 सादृश्य मैट्रिक्स लेवल-11(पुराना वेतनमान वेतन बैंड-3, ₹0 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹0 6600) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत करते हुए वर्तमान तैनाती स्थल पर ही तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह आदेश कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगे, तथा इनकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष रहेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

अनीता सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-09/2018/1001 (1)/62-1-2018, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (2) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रोन्नत अधिकारी की योगदान आख्या प्राप्त कर शासन को उपलब्ध करायें।
- (3) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, लखनऊ को राजकीय गजट के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु ।
- (4) अधीक्षण अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग मण्डल-प्रथम, बरेली ।
- (5) संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग मण्डल-द्वितीय, इलाहाबाद।
- (6) सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग खण्ड-देवीपाटन (गोण्डा)।
- (7) श्री लक्ष्मी चन्द्र, सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग खण्ड-देवीपाटन (गोण्डा)।
- (8) कोषाधिकारी, गोण्डा।
- (9) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विभाकर द्दिवेदी)
अनु सचिव ।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।